Consent – it's your decision (Hindi version)

अनुमति – यह आप का निर्णय है

आप को अपने स्वास्थ्य की देख-भाल और चिकित्सा के विषय में निर्णय लेने में कैसे शामिल होना चाहिये

यह पुस्तिका किन के लिये है?

- इस पुस्तिका सभी आयु के लोगों के लिये है।
- इस पुस्तिका का एक और संस्करण 16 से कम आयु के युवा लोगों के लिये भी है जिस का नाम है 'अनुमति –आप के अधिकार' (**Consent – your rights**)। आप को इस की एक कॉपी जहां से आप को एन एच एस (NHS) देख-भाल मिलती है वहां से मिल सकती है या इंटरनेट पर (**www.hris.org.uk**) मिल सकती है।

यह पुस्तिका किस विषय में है?

यह आप को आप की देख-भाल और चिकित्सा के विषय में निर्णय लेने के अधिकार के विषय में बताती है। साधरणतः आप किसी भी चिकित्सा, परीक्षण या जांच को स्वीकार कर सकते हैं या उससे इनकार कर सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि आप को शोध में भाग लेना है या नहीं।

चिकित्सकीय जाँच और उपचार की अनुमति

अनुमति देने का अर्थ क्या है?

इस का अर्थ है सहमत होना। इस से पहले कि कोई डाक्टर, नर्स या कोई अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी आप का परीक्षण या चिकित्सा कर सके, उन को आप से अनुमति लेनी आवश्यक है।

कौन अनुमति दे सकता है?

यदि आप खुद अपने निर्णय ले सकते हैं तो आप अनुमति दे सकते हैं।

- निर्णय कर सकने का मतलब है कि आप समझें इसमें क्या शामिल है और अलग-अलग क्रियाओं के लाभ और हानियों के बारे में स्पष्ट रूप से विचार कर सकें।
- आप को पर्याप्त जानकारी दिया जाना चाहिये, और आप को यह निर्णय बिना दूसरे लोगों के किसी दबाव के लेना चाहिये।

क्या होगा यदि मैं अनुमति न दे सका?

यदि आप दी गई जानकारी समझ सकते हैं, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये विचार कर सकते हैं, और अपना निर्णय किसी को बता सकते हैं, तब आप अनुमति दे सकते हैं। यदि आप यह कर नहीं सकते इसे असमर्थता (incapacity) कहा जाता है। इस मामले में हो सकता है कि आपके लिए कोई और व्यक्ति अनुमति दे सके।

यदि आप एक व्यस्क हैं

आप के बदले कोई दूसरा अनुमति दे सकता है यदि:

- आप ने उन्हें कल्याणकारी पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, या
- कोर्ट द्वारा उन्हें कल्याणकारी अभिभावक बनने की आज्ञा दी गई है, या
- कोर्ट द्वारा उन्हें कल्याणकारी मध्यवर्ती आज्ञा दी गई है और चिकित्सा की आवश्यकता केवल थोड़े समय के लिये हो।

डाक्टर आप की चिकित्सा कर सकते हैं यदि आप के लिये अनुमति देने के लिये कोई दूसरा न हो, और चिकित्सा आप के लिये लाभदायक हो।

असमर्थता वाले वयस्कों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करनी है यह जानने के लिए पेज 10 देखें।

यदि आप 16 से कम आयु के हैं, तो

- माता/पिता की जिम्मेदारी संभालने वाला कोई व्यक्ति आपके लिए अनुमति दे सकता है यदि आप खुद नहीं दे सकते हों।

16 से कम आयु के युवकों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करनी है यह जानने के लिए पेज 9 देखें।

आपातस्थिति में क्या होता है?

- किसी आपातस्थिति में –जैसे कि, यदि आप के साथ सड़क पर दुर्घटना घटी है और आप को बहुत शीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता है आप की जान बचाने के लिये –अपनी दशा के कारण आप अपनी चिकित्सा के विषय में निर्णय लेने की अवस्था में नहीं हो सकते।
- यदि आप अनुमति देने की दशा में नहीं है और आप के लिये किसी दूसरे का निर्णय लेने के लिये समय नहीं है, डाक्टर आप की चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन वे आपके अनुमति बिना चिकित्सा तभी कर सकते हैं जब ऐसा करना आप की जान बचाने के लिये बहुत आवश्यक हो या आप को किसी गंभीर हानि पहुचने से बचाना हो।

मुझे अपनी अनुमति देने के लिये कैसे पूछा जायेगा?

- अपनी अनुमति देने के लिये आप को कुछ करने को कहा जा सकता है। जैसे कि, डाक्टर आप को आप के पैर का निरीक्षण करने के लिया पूछ सकता है। यदि आप अपना जूता उतार देते हैं, यह दर्शाता है कि आप सहमत हैं।
- कभी-कभी आप से पूछा जायेगा कि क्या आप निरीक्षण या चिकित्सा के लिये सहमत हैं।
- यदि परीक्षण या चिकित्सा अधिक जटिल हो, जैसे कि आपरेशन, तो आप को एक फार्म भरने को कहा जा सकता है यह दर्शाने के लिये कि आप सहमत हैं।

मझे कौन सी जानकारी दी जायेगी?

- निर्णय लेने में आप की सहायता करने के लिये, NHS के सदस्यों जो आपके देखभाल में शामिल हैं, को आप के परीक्षण या चिकित्सा के विषय में जानकारी इस प्रकार देनी चाहिये कि आप उसे समझ सकें। आप जानना चाह सकते हैं:
  - आप का परीक्षण या चिकित्सा क्यों किया जा रहा है
  - इस में क्या शामिल होगा
  - इस के क्या लाभ हैं
  - क्या इस से कोई खतरा या पार्श्र्व प्रभाव (side effects) हैं
  - खतरा कितना बड़ा या कम है
  - क्या कोई विकल्प है
  - क्या होगा यदि आप यह परीक्षण या चिकित्सा ना करवायें तो
  - क्या आप को पैसे देने होंगे (जैसे कि, दाँत की चिकित्सा के लिये), और
  - उस डाक्टर का नाम जो आप की देख-भाल के लिये उत्तरदायी है।

- यदि आप समझ नहीं रहे हैं या अधिक जानना चाहते हैं आप को प्रश्न पूछने का अधिकार है। यदि वह व्यक्ति जिसे आप से अनुमति चाहिये, आप के प्रश्नों का उत्तर देने के अयोग्य है, उन से पता लगाने को या किसी दूसरे को बुलाने को कहें जो सहायता कर सकता हो। यदि आप सोचते हैं कि यह आवश्यक है, तो आप इस विषय में किसी दूसरे के विचार जानने के लिये कह सकते हैं।
- यदि आपको दुभाषिये की ज़रूरत है तो किसी कर्मचारी को पहले से इसकी व्यवस्था करने को कहें। जब आप अप्वाइंटमेन्ट लें, तब उन्हें बताएँ कि आप कौन सी भाषा पसंद करते हैं।
- यदि आप चाहते हैं, तो जब आप को परीक्षण या चिकित्सा के विषय में बताया जा रहा हो उस समय कोई आप के साथ आ सकता है। यह व्यक्ति आप का मित्र, संबन्धी, साथी या देख-भाल करने वाला, स्टाफ का कोई दूसरा सदस्य, या एक स्वतंत्र प्रतिनिधि (जो अक्सर 'एडवोकेट' कहलाता है) हो सकता है।
- कभी-कभी आप को जो कुछ परीक्षण या चिकित्सा के विषय में कहा गया हो उसे समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। अगर आप ऐसी लिखित जानकारी चाहेंगे जिसे आप निर्णय लेने के लिये अपने साथ ले जा सकें, आप को बता देना चाहिये।

मैं कितना समय ले सकता हूँ निर्णय लेने में?

आपातस्थिति में निर्णय शीघ्रता से लेने होंगे। और दूसरी दशाओं में, आप अधिक समय लेने योग्य हो सकते हैं। आपको अपना निर्णय लेने में पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है ताकि आपको न लगे कि जल्दबाजी की जा रही है। यदि आपको अपने निर्णय के बारे में सोचने का समय चाहिए तो आपको ऐसा कहना चाहिए।

क्या होगा यदि मैं अपना विचार बदल लूं?

आप परीक्षण या चिकित्सा के विषय में अपनी अनुमति देने के विषय में अपना विचार किसी भी समय बदल सकते हैं। आप को किसी सदस्य को बता देना चाहिये जो आप की देख-भाल करता है।

क्या मैं परीक्षण और चिकित्सा से इन्कार कर सकता हूँ?

- साधरणतः, आप परीक्षण या चिकित्सा से किसी भी समय इन्कार कर सकते हैं चाहे इस से आप के स्वास्थ्य, या आप के पैदा होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य की गंभीर हानि हो।
- यह आवश्यक है कि आप समझें कि यदि आप परीक्षण या चिकित्सा न करवाने का निर्णय लें तो आपको क्या हो सकता है।
- यदि कोई दूसरी चिकित्सा हो जिस का प्रयोग बदले में किया जा सकता हो, तो आप को इस विषय में जानकारी दी जायेगी। पर आप कोई विशेष चिकित्सा करवाने पर ज़ोर नहीं दे सकते यदि आप की देख-भाल करने वाला NHS का स्टाफ यह सोचता है कि इस से आप को सहायता नहीं मिलेगी।
- याद रखें कि अपना निर्णय लेने से पहले आप जो चिकित्सा की जा रही है उस के विषय में कोई दूसरी राय ले सकते हैं।

16 से कम आयु के युवकों के लिए जानकारी

यदि आप 16 से कम आयु के हैं, और अपने लिये निर्णय लेने योग्य हैं, तो आप किसी परीक्षण या चिकित्सा से इन्कार कर सकते हैं।

यद्यपि:

- आप की देख-भाल करने वाला व्यक्ति यह जानना चाह सकता है कि आप को इन्कार क्यों है। उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि क्या उन्होने आप को निर्णय लेने के लिये पर्याप्त जानकारी दी है।
- बहुत असामान्य मामलों में, यदि आप रोग की गंभीर अवस्था में परीक्षण या चिकित्सा से इन्कार करते हैं, तो आप के माता-पिता या आप का डाक्टर आप के निर्णय के विषय में कानूनी सलाह लेना चाह सकते हैं।

16 से कम आयु के युवकों के लिए अनुमति संबंधी जानकारी कहाँ से पानी है यह जानने के लिए पेज 9 देखें।

क्या होगा यदि मैं मानसिक रोग या विकार से पीड़ित होऊं?

- बहुत सी दशाओं में, यदि आप मानसिक रोग या विकार से पीड़ित हैं, किसी परीक्षण या चिकित्सा से सहमत होने या उस से इन्कार करने के आप के भी वैसे ही अधिकार हैं जैसे कि किसी दूसरे के।
- लेकिन यदि आप की देख-भाल मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (Mental Health Act) के अधीन हो रही है, तो आप के मानसिक रोग या विकार का परीक्षण और चिकित्सा आप की अनुमति लिये बिना ही की जा सकती है। ऐसा सिर्फ तब होगा यदि इस में आप की भलाई होगी। कुछ चिकित्साओं के लिये दिशा-निर्देश मौजूद हैं। जैसे कि, आप को कोई विशेष चिकित्सा देने के पहले आप के डाक्टर को इस विषय में किसी दूसरे डाक्टर के विचार जानने की आवश्यकता पड़ सकती है।
- **स्कॉटिश सरकार स्वास्थ्य विभाग** (**Scottish Government Health Directorates**) ने मानसिक रोगों या विकारों से पीड़ित लोगों के लिये जानकारी के पथ-प्रदर्शन की श्रेणी बनाई है। पेज 11देखे यह जानने के लिये कि इन की कॉपी आप को कहाँ से मिल सकती है।

मानसिक रोगों या विकारों से पीड़ित लोगों के अधिकारों के विषय में और अधिक जानकारी के लिये पेज 10 और 11 देखें।

शिक्षण और खोज

क्या होगा यदि मुझे इस के शिक्षण में भाग लेने को कहा गया तो?

- NHS का स्टाफ आप से हमेशा यह पूछना चाहिए कि आप को आप के परीक्षण या चिकित्सा के समय वहाँ उपस्थित स्वास्थ्य-देख-भाल के विद्यार्थियों से इन्कार तो नहीं। आप को इन्कार करने का अधिकार है, और इस से आप की देख-भाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- शिक्षण के उद्देश्य से, आप के परीक्षण या चिकित्सा की फोटो, विडीयो या आवाज रेकार्ड करने से पहले आप की अनुमति के लिये आप से पूछा जाना चाहिये। जहाँ संभव हो, ऐसी जानकारी जिस से आप की पहचान हो सके प्रयोग करने से पहले हटा दी जायेगी। ऐसी दशाओं में जहाँ यह संभव नहीं है, आप को निर्णय लेने से पहले बता दिया जायेगा।
- यदि आप शिक्षण के हेतु फ़ोटो लिए जाने, या रिकार्डिंग किए जाने से सहमत हैं, तो आप बाद में अपना विचार बदल सकते हैं। यदि आप अनुमति वापस लेते हैं, तो उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्हें यथाशीघ्र मिटा दिया जाएगा।

क्या होगा यदि मुझे इस की खोज में भाग लेने को कहा गया तो?

- यह निश्चित करना आप पर निर्भर करता है कि आप खोज में भाग लेना चाहते हैं या नहीं।
- निर्णय लेने से पहले, आप को खोज के विषय में जितनी जानकारी चाहिये उतनी दी जायेगी, और आप जितने चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं।
- आप को साधारणतः खोज के विषय में लिखित जानकारी दी जायेगी घर ले जाने के लिये। इस जानकारी का प्रयोग आप अपने परिवार और मित्रों के साथ इस खोज की चर्चा करने के लिये कर सकते हैं। आप पर इस में भाग लेने की सहमति देने के लिये कभी किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जायेगा।
- यदि आप खोज में भाग लेना चाहते हैं, आप को एक फार्म पर हस्ताक्षर करने को कहा जायेगा यह दर्शाने के लिये कि आप ने अपनी अनुमति दे दी है। आप को इस फार्म की एक कॉपी अपने पास रखने को दी जा सकती है, और एक कॉपी आप के स्वास्थ्य के अभिलेखों के साथ रखी जायेगी।
- खोज में भाग लेने के विषय में आप किसी भी समय अपना विचार बदल सकते हैं बिना कोई कारण बताये बगैर।

- यदि आप खोज में भाग न लेने का निर्णय लेते है, आप को मिलने वाली देख-भाल के स्तर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी के प्रयोग के लिये अनुमति

NHS को आप की व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी को गुप्त रखना होगा। आप को यह निर्णय लेने में शामिल होना चाहिये कि आप की व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी का प्रयोग कैसे किया जाये।

आप की व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी का प्रयोग कैसे किया जाये इस की अधिक जानकारी के लिये हमारी पुस्तिका **'गोपनीयता – यह आप का अधिकार है' (Confidentiality - it's your right)** देखें। पेज 12 देखें यह जानने के लिये कि इस पुस्तिका की कॉपी कहाँ से मिलेगी।

क्या होगा यदि मैं खुश न हुआ तो?

आप के स्वास्थ्य की देख-भाल के विषय में निर्णय लेने में आप को जिस प्रकार शामिल किया गया है यदि आप उस से खुश नहीं हैं तो, पहले NHS स्टाफ के किसी सदस्य से जो आप की देख-भाल करता है बात करें। यदि आप अब भी खुश नहीं हैं, आप औपचारिक रूप शिकायत कर सकते हैं।

शिकायत करने के विषय में और अधिक जानकारी के लिये **'NHS के विषय में शिकायत करना' (Making a complaint about the NHS)** पुस्तिका देखें। पेज 12 देखें यह जानने के लिये कि इस पुस्तिका की कॉपी कहाँ से प्राप्त होगी।

अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें

इस पुस्तिका में दी गई किसी भी जानकारी के विषय में अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:

- NHS स्टाफ के किसी सदस्य से जो आप की देख-भाल करने में शामिल है
- NHS सहायता फोन नंबर (NHS Helpline) **0800 22 44 88** (टेक्स्ट फ़ोन **18001 0800 22 44 88**), हेल्पलाइन को किए गए कॉल निःशुल्क हैं और उससे दुभाषिया सेवा प्राप्त हो सकती है, या
- आप के स्थानीय नागरिक सलाह ब्यूरो (citizens advice bureau) से (इंटरनेट पर **www.cas.org.uk** से अपने नज़दीकी दफ्तर का पता लगायें या अपनी स्थानिक फोन बुक से)।

कानून व युवकों संबंधी जानकारी

कानून का बच्चों और युवकों पर कैसा प्रभाव पड़ता है इस विषय में और अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:

- The Scottish Child Law Centre
  54 East Crosscauseway
  Edinburgh
  EH8 9HD
  सूचना हेल्पलाइन (helpline): **0131 667 6333**
  मुफ्त फोन नंबर: **0800 328 8970** (18 से कम की आयु के लोगों के लिये)
  फ्री टेक्स्ट पूछताछ सेवा **80800** ('SCLC' टेक्स्ट करके आपका प्रश्न टाइप करें। आपके मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट द्वारा उत्तर भेजे जाएँगे।)
  ईमेल: **enquiries@sclc.org.uk**
  वेबसाइट: **www.sclc.org.uk**

- इस पुस्तिका का एक और विवरण 16 से कम आयु के युवा लोगों के लिये भी है: **'अनुमति – आप के अधिकार'** (**'Consent – your rights'**) आप को इस की एक कॉपी जहां आप को NHS देख-भाल मिलती है वहां से, आप की स्थानिक NHS समिति या इंटरनेट पर **(www.hris.org.uk)** मिल सकती है।

कानून और असमर्थता या मानसिक रोग से पीड़ित वयस्कों संबंधी जानकारी

यह पत्रिका 'सुगम-पठन' स्वरूप में उपलब्ध है। इसकी प्रति प्राप्त करने संबंधी जानकारी के लिए पिछला आवरण देखें।

यदि आप अपने लिये निर्णय नहीं ले सकते या दूसरे लोगों को अपना निर्णय बता नहीं सकते इसे असमर्थता (incapacity) कहा जाता है। अक्षमता वाले वयस्कों हेतु अधिनियम (Adult with Incapacity Act) के विषय में अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:

- **The Office of the Public Guardian (स्कॉटलैन्ड) (सार्वजनिक अभिभावक कार्यालय)**

  Hadrian House, Callendar Business Park, Callendar Road
  Falkirk
  FK1 1XR

  फोन: **01324 678 300**

  फैक्स: **01324 678 301**

  ईमेल: **opg@scotcourts.gov.uk**

  वेबसाइट: **www.publicguardian-scotland.gov.uk**

मानसिक रोग या विकार से पीड़ित लोगों के अधिकारों के विषय में और अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:

- **Mental Welfare Commission for Scotland (स्कॉटलैन्ड के मानसिक हित अधिकार)**

  वे आप को अक्षमता वाले वयस्कों हेतु अधिनियम (Adult with Incapacity Act) के विषय में और अधिक जानकारी और सलाह दे सकते हैं।

  Mental Welfare Commission for Scotland
  Argyle House
  3 Lady Lawson Street
  Edinburgh
  EH3 9SH

  फोन: **0131 222 6111**

  मुफ्त फोन नंबरः **0800 389 6809** (इस सेवा का प्रयोग करने वालों और देख-भाल करने वालों के लिये)

  फैक्स: **0131 222 6112**

  ईमेल: **enquiries@mwcscot.org.uk**

  वेबसाइट: **www.mwcscot.org.uk**

- **स्कॉटिश सरकार स्वास्थ्य विभाग (Scottish Government Health Directorates)** ने जानकारी पथ-प्रदर्शन की श्रेणी प्रकाशित की है उन लोगों के लिये जो मानसिक रोगों से पीड़ित हैं और देख-भाल करने वालों के लिये। मानसिक स्वस्थ्य सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जिस में अनुमति देने से ले कर चिकित्सा तक का पथ-प्रदर्शन शामिल है। यदि आप इन पथ-प्रदर्शनों की एक कॉपी लेना पसंद करेंगे, संपर्क करें:

Mental Health Law Team
Mental Health Division
Scottish Government Health Directorates
St Andrew's House, Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

फोन: **0131 244 2591**

ई-मेल: **mentalhealthlaw@scotland.gsi.gov.uk**

वेबसाइट:**: www.scotland.gov.uk** ((मानसिक स्वास्थ्य (mental health), कानून सुधार और मार्गदर्शन (law reform and guidance) की लिंक्स पर जाएँ)

श्रेणी की दूसरी पुस्तिकायें

यह पुस्तिका इस श्रेणी का भाग है:

- **गोपनीयता – यह आपका अधिकार है (Confidentiality – it's your right)**
- **अपने स्वास्थ्य के अभिलेख आप कैसे देखें (How to see your health records)**
- **NHS के विषय में शिकायत कैसे करें (Making a complaint about the NHS)**
- **NHS और आप (The NHS and You)**
- देख-भाल करने वाले व्यक्तियों के लिए असमर्थता वाले वयस्कों के अधिकारों और उपचार व स्वास्थ्य देख-भाल के लिए उनकी अनुमति के बारे में जानकारी 2009 में इस श्रेणी के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाएगी।

इन पुस्तिकाओं को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं :

- GP और डेन्टल सर्जरीस, अस्पतालों और दूसरे स्थानों से जहाँ आप को NHS देख-भाल प्राप्त होती है
- आप की स्थानिक NHS बोर्ड
- NHS सहायता फोन नंबर पर (NHS Helpline) **0800 22 44 88** (टेक्स्ट फ़ोन **18001 0800 22 44 88**)
- **www.hris.org.uk**, और
- आप के स्थानीय नागरिक सलाह ब्यूरो (citizens advice bureau) से (इंटरनेट पर **www.cas.org.uk** से अपने नज़दीकी दफ्तर का पता लगायें या अपनी स्थानिक फोन बुक से)।

हमारी यह पूरी कोशिश रही है कि हम यह निश्च करें कि इस पुस्तिका में दी गई जानकारी सही है। यद्धपि, यह पुस्तिका सिर्फ पथ-प्रदर्शन के लिये ही है इसलिये आप इसे कानून का पूरा कथन समझ कर इस पर निर्भर न करें। यदि आप कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं, आप को किसी वकील, नागरिकों को सलाह देने के दफ्तर या दूसरी सलाह देने वाली एजेन्सी से संपर्क करना चाहिये।

इसे स्वास्थ्य जानकारी अधिकार स्कॉटलैन्ड (Health Rights Information Scotland) द्वारा प्रकाशित किया गया है, स्कॉटिश सरकार स्वास्थ्य विभाग (Scottish Government Health Directorates) के लिये, स्कॉटिश उपभोक्ता परिषद (Scottish Consumer Council) की एक प्रयोजना है।

SCC Scottish Consumer Council
Making all consumers matter

The Scottish Government

विवरण 2 अगस्त 2008 में प्रकाशित हुआ अवलोकन तिथि अगस्त 2010

यह जानकारी किसी दूसरी भाषा या संरूप में लेने के लिये अपनी स्थानिक NHS बोर्ड को फोन करें। यदि आप को सहायता की आवश्यका है तो NHS सहायक फोन लाईन से 0800 22 44 88 पर संपर्क करें (टेक्सटफोन 180010800 22 44 88)।

www.hris.org.uk